बरेली पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 21.10.2025

थाना- बारादरी

थाना बारादरी #bareillypolice द्वारा अवैध मादक पदार्थो की अन्तर्राज्यीय तस्करी करने वाले गैंग के 01 शातिर अभियुक्त को 04 किलो 186 ग्राम अवैध मार्फिन (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 04 करोड 15 लाख रूपये) व एक डीसीएम गाडी के साथ किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचय:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निर्देशन में थाना बारादरी पुलिस द्वारा रात्रि गस्त के दौरान दिनांक 21.10.2025 को 01 शातिर अभियुक्त 1. सिराज अहमद पुत्र नवी अहमद नि0- बंगसान कस्बा व थाना मीरानपुर कटरा जनपद शाहजाहाँपुर (उम्र करीब 50 वर्ष) को डोहरा रोड पर बॉयज हास्टल के पास से 04 किलो 186 ग्राम अवैध मार्फिन (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 04 करोड 15 लाख रूपये) व एक डीसीएम गाडी रजि०नं० UP 27 BT 8276 के साथ गिरफ्तार किया गया, मौके से एक अभियुक्त सुरेन्द्र शर्मा फरार हो गया। पकडे गये अभियुक्त से बरामदगी के आधार पर अभियोग मु0अ0सं0 1249/2025 धारा 8/21/29/60 NDPS एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ कर मा0 न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाही:-

दिनांक 21.10.2025 की रात्रि प्रभारी निरीक्षक थाना बारादरी बरेली की टीम जिसमें उ0नि0 मुनेन्द्र पाल सिंह चौकी प्रभारी जोगी नवादा व उ0नि0 मनीष भारद्वाज मय अपनी चीता मोबाइलों के साथ सुरेश शर्मा नगर चौराहे पर गस्त मिलान में मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि दूसरे राज्य से मार्फिन की भारी डिलीवरी एक डीसीएम गाडी में छिपाकर ले आकर डोहरा रोड पर अन्धेरे में गाडी खडा कर किया जाना है। सूचना पर विश्वास कर मय मुखबिर के सुरक्षित स्थान पर रूककर आने वाली डीसीएम गाडी का इन्तजार करने लगे कि कुछ देर बाद ही एकडीसीएम गाडी डोहरा रोड पर व्वायज हॉस्टल से पूर्व आकर रूकी चालक व उसमें बैठा व्यक्ति उतर कर नीचे आये। चालक अपनी डीसीएम के नीचे लेटकर अन्दर की तरफ गया और अन्दर नीचे की तरफ जाकर बने बॉक्स को खोलने लगा। जबकि दूसरा साथ वाला व्यक्ति उतर कर तेज कदमो से आगे की तरफ बढा और फिर पुलिस पार्टी को देखते ही दौडते हुए दीवाल फांदकर नाले की तरफ जंगल में भाग गया। डीसीएम के नीचे लेटे व्यक्ति को जब पकडा गया और देखा गया तो उसके हाथ में नीले कलर का बैग था। जिसमें 04 पैकेट जिसमें मटमैला कलर का पाउडर नुमा पदार्थ मिला। पूछताछ से उक्त पदार्थ मार्फिन होना पुष्ट हुआ तब नियमानुसार उक्त व्यक्ति की तलाशी क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय की उपस्थिति में करायी गयी तथा बरामदा मार्फिन का वजन कराया गया तो कुल 04 किलो 186 ग्राम पाया गया। पूछताछ करने पर पकड़े गये व्यक्ति द्वारा बताया गया कि भागे हुए व्यक्ति का नाम सुरेन्द्र शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा निवासी देवचरा थाना भमौरा, बरेली है।

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 1249/2025 धारा 8/21/29 NDPS एक्ट थाना बारादरी बरेली बनाम सिराज अहमद पुत्र नवी अहमद नि0 बंगसान कस्बा व थाना मीरानपुर कटरा जनपद शाहजाहाँपुर उम्र करीब 50 वर्ष एवं सुरेन्द्र शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा निवासी देवचरा थाना भमौरा, बरेली के विरूद्ध दिनांक 21.10.2025 को पंजीकृत किया गया।

पूछताछः-

अभियुक्त से पूछने पर जानकारी हुई कि अभियुक्त मूलरूप से मीरानपुर थाना कटरा जनपद शाँहजहापुर का रहने वाला है तथा कक्षा 8 तक पढा लिखा है। पूर्व में यह बडे ट्रको पर ड्राइविंग का काम करता था। सुरेन्द्र शर्मा भी टाटा 407 चलाता था। इसी दौरान ढाबे पर आते जाते मुलाकात हो जाती थी। सुरेन्द्र शर्मा की खुद की टाटा 407 थी । सुरेन्द्र शर्मा ने ही कहा कि दूसरे की किराये पर गाडी चलाते हो अपना खुद क्यो नही खरीद लेते, तो अभियुक्त ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और फिर सुरेन्द्र शर्मा ने 05 लाख रूपये जमा कर मुझे यह डीसीएम रजि0नं0 UP 27 BT 8276 फाईनेंस पर खरीदवा दिया। जिसे में चला रहा था। सुरेन्द्र शर्मा ही महीने में एक या दो बार मुझे खाली लेकर पंजाब या नागालैंड जाता था और उधर से बैंग में मार्फिन या स्मैक लेकर खाली गाडी से ही वापस आता था । सुरेन्द्र शर्मा के कहने से ही मैने डीसीएम में नीचे की तरफ आगे और पीछे के टायरो के बीच में एक कैविन बनवाया था माल उसी में रखकर ताला बन्द कर आते जाते थे चूंकि उक्त कैविन दिखायी नही देती थी और न ही चैकिंग में पकडे जाने का डर था, इसलिए हम लोगो का काम चलता रहा। जब मैं खाली रहता था तो मण्डी से भाड़ा लेकर भी आता जाता था, जिससे मेरा खर्च भी चलता था। महीने में जब माल आता था तो खाली गाडी ले जाने व आने के लिए मुझे 01 लाख रूपये सुरेन्द्र शर्मा देता था, माल उतारने के बाद मैं अपने घर चला जाता था, जबकि सुरेन्द्र शर्मा उक्त माल को किसे देता था, कहाँ सप्लाई करता था, उसे ही जानकारी थी। जब हमें वह ले जाता था तो मेरा मोबाइल यही बरेली में बन्द कराकर और यही रखवा देता था, जब लौट कर आते थे उसके बाद मुझे मोबाइल वापस देता था । सुरेन्द्र शर्मा अपनी गाडी से यह काम करता था किन्तु 03-04 साल पहले यही काम करते हुए अपनी गाडी के साथ कैंण्ट बरेली में पकड़ा गया था तब से उसकी गाडी थाने में बन्द है। इस बार भी सुरेन्द्र शर्मा दिनांक 17.10.2025 को मुझे बुलाया और मोबाइल आदि रखवाकर गाडी मे टंकी फुल कराकर विलयधाम रामपुर, मुरादाबाद गाजियाबाद, डासना पानीपत, करनाल होते हुए फगबाडा ले गया था, वहां से माल प्राप्त कर उसी गुप्त कैविन बॉक्स में रखकर वापसी में फगबाडा, करनाल, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर होकर देर रात्रि बरेली आये थे। यहां पर सुनसान स्थान पर अन्धेरे में गाडी खडा कर कैविन से नीचे लैटकर मैं माल निकाल रहा था कि पकड़ा गया जबकि सुरेन्द्र शर्मा बाहर खडा था जो भाग गया है।

अभियुक्त का नाम व अपराधिक इतिहासः -

सिराज अहमद पुत्र नवी अहमद नि0 बंगसान कस्बा व थाना मीरानपुर कटरा जनपद शाहजाहाँपुर उम्र करीब 50 वर्ष

1.मु0अ0सं0 1249/2025 धारा 8/21/29 NDPS एक्ट थाना बारादरी बरेली ।

फरार अभियुक्तः-

सुरेन्द्र शर्मा पुत्र राम स्वरूप शर्मा निवासी देवचरा थाना भमौरा जनपद बरेली।

1. मु0अ0सं0 1249/2025 धारा 8/21/29 NDPS एक्ट थाना बारादरी बरेली मु0अ0सं0 162/2021 धारा 8/15/18 NDPS एक्ट थाना कैंट बरेली

बरामदगीः-

1. चार किलो 186 ग्राम (कीमत लगभग 04 करोड 15 लाख रूपये)
2. परिवहन में प्रयुक्त एक डीसीएम गाडी रजि0नं0 UP 27 BT 8276

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक धनंन्जय पाण्डेय, थाना बारादरी जनपद बरेली।
2. उ0नि0 मुनेन्द्र पाल सिंह, प्रभारी चौकी जोगी नवादा थाना बारादरी जनपद बरेली।
3. उ0नि0 मनीष भारद्वाज, चौकी प्रभारी रूहेलखण्ड थाना बारादरी जनपद बरेली।
4. का0 33 साबिर अली, थाना बारादरी जनपद बरेली।
5. काO 2204 अंकुश चौधरी, थाना बारादरी जनपद बरेली।